पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 जून, 2017 ई0 (ज्येष्ठ 13, 1939 शक सम्वत्) [संख्या–22

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	517–522	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	153–155	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	23–25	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	69–79	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

चिकित्सा अनुभाग–3

अधिसूचना

05 मई, 2017 ई0

संख्या 485/XXVIII–3–2017–100/2009(टी0सी0)–खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 70 के प्राविधानानुसार हल्द्वानी, नैनीताल में स्थापित अपीलीय अधिकरण में पीठासीन अधिकारी की तैनाती हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा संस्तुत श्री सिकन्द कुमार त्यागी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पिथौरागढ़ को तत्काल प्रभाव से खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, हल्द्वानी, नैनीताल में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. नवनियुक्त पीठासीन अधिकारी की सेवा के निबन्धन और शर्तें, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2011 के नियम 3.2.2 के अनुसार अनुमन्य होंगी।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

12 मई, 2017 ई0

संख्या 697/XXXI(1)/2017–पदो0–11/14–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत कार्यरत श्री मुनेन्द्र दत्त सेमवाल, समीक्षा अधिकारी को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी (पूर्व वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से वास्तविक रूप से तथा उनके आसन्न कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि 25 फरवरी, 2014 से नोशनल रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री सेमवाल, समीक्षा अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. श्री मुनेन्द्र दत्त सेमवाल, अनुभाग अधिकारी की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4. उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्या 1997/2013 (एस/एस), धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 146 एस0बी0/2014, दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 22122/2013, सुनील कुमार मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270 (एस0बी0)/2015, शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271 (एस0बी0)/2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, 272 (एस0बी0) 2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273 (एस0बी0)/2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 274 (एस0बी0)/2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य के अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0 में योजित स्पेशल अपील संख्या 31/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2015 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 23254/2015, हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.09.2015 के परिपेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 5828 (एस/एस)/2015, डा0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन की जा रही है।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7

कार्यालय ज्ञाप

17 मई, 2017 ई0

विषय : राज्य सरकार के 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

संख्या 95/XXVII (7)02/2016–उपर्युक्त विषय, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2/2016–ई0II(बी), दिनांक 04 नवम्बर, 2016 के क्रम में पूर्व दरों को अतिक्रमित करते हुए पुनरीक्षित पेंशन पर दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 04 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए–1–252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध, जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

OFFICE MEMORANDUM

May 17, 2017

Subject : Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners, which Pensioners, which pension is revised from 01 January, 2016.

No. 95/XXVII(7)02/2016--The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief for pensioners *w.e.f.* 01.01.2017@4% instead 02% supersending the earlier rates as is sanctioned *vide* Office Memorandum No. 297/XXVII(7)02/2016, Dated December 30, 2016 for those pensioners, whose pension is not revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.

2. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

3. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Govt. under the Education/Technical Education Department, whose Pension/Family Pension is at per with the pensioners of the State Government.

4. As per orders issued in Om No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M.

5. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

कार्यालय ज्ञाप

17 मई, 2017 ई0

विषय : राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

संख्या 98/XXVII (7)02/2010—उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 70/XXVII (7)02/2010, दिनांक 13 अप्रैल, 2017 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 132 प्रतिशत के स्थान पर 136 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए—1—252/दस/10(3)—81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार—पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध, जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

OFFICE MEMORANDUM

May 17, 2017

Subject : Grant of Dearness Relief of such Civil/Family Pensioners of the State Government, whose pension is not revised according with the recommendation of the 7th Pay Commissions.

No. 98/XXVII(7)02/2010--The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates *w.e.f.* 01.01.2017@136% instead 132% supersending the earlier rates as is sanctioned *vide* Office Memorandum No. 70/XXVII(7)02/2010, Dated April 13, 2017 for those pensioners, whose pension is not revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.

2. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective.

3. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Govt. under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at per with the pensioners of the State Government.

4. As per orders issued in Om No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government Orders shall remain applicable as usual.

By Order,

RADHA RATURI,
Principal Secretary.

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना

17 मई, 2017 ई0

संख्या 322/XX–3–2017–05(17)2013–श्री राज्यपाल महोदय, साधारण अधिनियम, 1897 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस सम्बन्ध में श्री ब्रिजेन्द्र सिंह, चतुर्थ, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 1401/XX–3–2016–05(17)2013, दिनांक 05.07.2016 को विखण्डित करते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अधीन मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल की संस्तुति पर उक्त अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों में सतर्कता अधिष्ठान, अपराध अनुसंधान विभाग एवं पुलिस अवस्थापना द्वारा पंजीकृत चालानों के विचारण हेतु श्री अजय चौधरी, तृतीय, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून को उनके पद के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

विनोद शर्मा,
सचिव।

विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड

(अधिष्ठान अनुभाग)

विज्ञप्ति/नियुक्ति

02 मई, 2017 ई0

संख्या 764/वि0स0/25/अधि0/2001–कार्यालय ज्ञाप संख्या 1541/वि0स0/03/अधि0/2000, दिनांक 06 जुलाई, 2002 द्वारा वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान लेवल–10, वेतन ₹ 56,100 में सृजित जनसम्पर्क अधिकारी के एक निःसंवर्गीय अस्थायी रिक्त पद के सापेक्ष श्री गोपाल सिंह चौहान पुत्र श्री मान सिंह चौहान, निवासी तल्ला चीनाखान, धारानौला, जनपद अल्मोड़ा को मा0 उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड, विधान सभा के साथ दिनांक 28 मार्च, 2017 से तदर्थ रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री गोपाल सिंह चौहान की उपर्युक्त नियुक्ति 'को टर्मिनस विद द ऑफिस' होगी, जो मा0 उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड, विधान सभा के वर्तमान पदधारक के कार्यकाल अथवा उनकी इच्छा तक, जो भी पहले हो, तक ही होगी।

श्री गोपाल सिंह चौहान को कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

जगदीश चन्द्र,
सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति

15 मई, 2017 ई0

संख्या 744/X–1–2017–14(09)/2014–श्री बृज मोहन डोबरियाल, उप प्रभागीय वनाधिकारी, जिनकी जन्मतिथि 08.06.1957 (आठ जून, उन्नीस सौ सत्तावन) है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30.06.2017 के अपराह्न को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति

25 मई, 2017 ई0

संख्या 1205 / X–1–2017–14(09) / 2014–श्री अशोक कुमार महर, भा0व0से0, वन संरक्षक (मुख्यालय), कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून जिनकी जन्मतिथि 25.10.1957 (पच्चीस अक्टूबर, उन्नीस सौ सत्तावन) है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.10.2017 के अपराह्न को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

आर0 के0 तोमर,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट / 312–भाग 1–2017 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 जून, 2017 ई0 (ज्येष्ठ 13, 1939 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

May 06, 2017

No. 146/UHC/XIV-a/44/Admin.A/2015--Ms. Anamika, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 13.04.2017 to 24.04.2017.

NOTIFICATION

May 06, 2017

No. 147/UHC/XIV-a/34/Admin.A/2012--Ms. Niharika Mittal, Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned Maternity (miscarriage) leave for 41 days *w.e.f.* 16.03.2017 to 26.04.2017, in terms of Subsidiary Rule 153 (2) Chapter XIII of F.H.B., Volume II (Parts 2-4).

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

May 19, 2017

No. 149/UHC/Admin.A/2017--Hon'ble Shri Justice Lok Pal Singh, has assumed charge of the office of Judge of the High Court of Uttarakhand on **19th May, 2017 at 10:15 A.M. *vide* Notification No. K.13032/01/2015-US.I(i), dated 18th May, 2017** issued by Government of India, Ministry of Law & Justice (Department of Justice).

NOTIFICATION

May 19, 2017

No. 150/UHC/Admin.A/2017--Hon'ble Shri Justice Manoj Kumar Tiwari, has assumed charge of the office of Judge of the High Court of Uttarakhand on **19th May, 2017 at 10:15 A.M. *vide* Notification No. K.13032/01/2015-US.I(i), dated 18th May, 2017** issued by Government of India, Ministry of Law & Justice (Department of Justice).

NOTIFICATION

May 19, 2017

No. 151/UHC/Admin.A/2017--Hon'ble Shri Justice Sharad Kumar Sharma, has assumed charge of the office of Additional Judge of the High Court of Uttarakhand on **19th May, 2017 at 10:15 A.M. *vide* K.13032/01/2015-US.I(ii), dated 18th May, 2017** issued by Government of India, Ministry of Law & Justice (Department of Justice).

Sd/-

NARENDRA DUTT,

Registrar General.

NOTIFICATION

May 22, 2017

No. 152/XIV-25/Admin.A/2008--Ms. Savita Chamoli, 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 01.05.2017 to 12.05.2017 with permission to prefix 30.04.2017 as Sunday holiday and suffix 13.05.2017 & 14.05.2017 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

May 22, 2017

No. 153/UHC/XIV-a/47/Admin.A/2012--Ms. Simranjit Kaur, Civil Judge (Jr. Div.), Kotdwar, District Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 27.04.2017 to 06.05.2017 with permission to suffix 07.05.2017 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

May 24, 2017

No. 154/UHC/XIV/7/Admin.A/2008--Sri Anirudh Bhatt, Additional Judge, Family Court, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 01.05.2017 to 12.05.2017 with permission to prefix 30.04.2017 as Sunday holiday and suffix 13.05.2017 & 14.05.2017 as second Saturday and Sunday holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यभार प्रमाण–पत्र

01 मई, 2017 ई0

पत्रांक–वाकअधि0/कार्यभार/व्य0प0/73(11)/156/2017–प्रमाणित किया जाता है कि मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की अधिसूचना सं0 121/UHC/Admin.A/2017, दिनांक 07–04–2017 के अनुपालन में श्री विवेक भारती शर्मा, एच0जे0एस0, का स्थानान्तरण 'निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल' के पद पर होने के फलस्वरूप 'अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून' के पद का कार्यभार का आज दिनांक 01–05–2017 की अपरान्ह में निम्नवत् हस्तान्तरित किया गया।

अवमुक्त अधिकारी

विवेक भारती शर्मा,

अवमोचक अधिकारी

आई0 एस0 बृजवाल
प्रभारी अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यभार प्रमाण–पत्र

06 मई, 2017 ई0

पत्रांक–वाकअधि0/कार्यभार/व्य0प0/73(12)/169/2017–प्रमाणित किया जाता है कि मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र सं0 1707/XII-h-1/Admin.A/2017, दिनांक 07–04–2017 तथा उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 289/2017/07(100)/XXVII(8)/08, दिनांक 03–05–2017 के अनुपालन में 'अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून' के पद का कार्यभार आज दिनांक 06–05–2017 की पूर्वान्ह में निम्नवत् ग्रहण किया गया।

अवमुक्त अधिकारी

आई0 एस0 बृजवाल,
प्रभारी अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून पीठ।

अवमोचक अधिकारी

सी0 पी0 बिजलवान,
अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून पीठ।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट/312–भाग 1–क–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 जून, 2017 ई0 (ज्येष्ठ 13, 1939 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचास्थानि चुनावालय), हरिद्वार

सूचना

24 मई, 2017 ई0

संख्या 51/त्रि0पंचा0उप0निर्वा0–2017–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या 120/रा0नि0आ0अनु0–2/2156/2017 देहरादून, दिनांक 23.05.2017 के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य, जिला पंचायत की अधिसूचना जारी होने की तिथि तक ऐसे पद/स्थान, जो कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की मृत्यु, त्याग–पत्र अथवा नामांकन न होने के कारण रिक्त है तथा जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर उप निर्वाचन कराया जाना है। अतः, मैं, दीपक रावत, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), हरिद्वार, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि ऐसे सभी रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट निम्नलिखित समय–सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
29.05.2017 एवं 30.05.2017 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	31.05.2017 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	01.06.2017 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	02.06.2017 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	13.06.2017 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	15.06.2017 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

उक्त उपनिर्वाचन (उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) {उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994} एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) तथा तद्धीन प्रख्यापित निर्वाचक नामावलियों के अनुसार इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन–प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। इन पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक चिन्ह आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय (विकासखण्ड स्तर) पर की जायेगी।

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन, माह मई–जून, 2017 के रिक्त पदों का विवरण

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	रिक्त पद का नाम	सम्बन्धित ग्राम पंचायत/ वार्ड का नाम व संख्या	पद/स्थान के आरक्षण की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	बहादराबाद	सदस्य ग्राम पंचायत	1. टिहरी डोब नगर (वार्ड नं0–5)	अनु0 जाति महिला
		सदस्य ग्राम पंचायत	2. गाजीवाली (वार्ड नं0–5)	अनु0ज0जाति महिला
2.	रुड़की	सदस्य ग्राम पंचायत	3. माधोपुर हजरतपुर (वार्ड नं0–3)	अनारक्षित
3.	भगवानपुर	सदस्य ग्राम पंचायत	4. खेडी शिकोहपुर (वार्ड नं0–4)	अनु0ज0जा0 महिला
		सदस्य ग्राम पंचायत	5. झिडियानग्रन्ट (वार्ड नं0–3)	अनु0जा0 महिला
		सदस्य ग्राम पंचायत	6. मुर्करम कालेवाला (वार्ड नं0–2)	महिला
		सदस्य ग्राम पंचायत	7. डाडा जलालपुर (वार्ड नं0–13)	महिला
4.	नारसन	सदस्य ग्राम पंचायत	8. बसवाखेडी (वार्ड नं0–7)	अनु0जाति
		सदस्य ग्राम पंचायत	9. सढौली (वार्ड नं0–1)	अनु0जा0 महिला
		सदस्य ग्राम पंचायत	10. सढौली (वार्ड नं0–8)	अनु0जा0 महिला
		सदस्य ग्राम पंचायत	11. कोटवाल आलमपुर (वार्ड नं0–8)	अनारक्षित
5.	लक्सर	सदस्य ग्राम पंचायत	12. रायसी (वार्ड नं0–13)	अनु0ज0जा0 महिला
		सदस्य ग्राम पंचायत	13. ईस्माईलपुर (वार्ड नं0–08)	अनारक्षित
		सदस्य ग्राम पंचायत	14. सुभाष गढ़ (वार्ड नं0–06)	पि0ज़ा0 महिला
		सदस्य ग्राम पंचायत	15. दरगाहपुर (वार्ड नं0–06)	अनारक्षित
6.	खानपुर	–	–	–

हस्ताक्षर (अस्पष्ट),
कनिष्ठ सहायक,
पंचास्थानि चुनावालय, हरिद्वार।

हस्ताक्षर (अस्पष्ट),
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय, हरिद्वार।

हस्ताक्षर (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

दीपक रावत,
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत), हरिद्वार।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत, हरिद्वार

विज्ञप्ति

24 मई, 2017 ई0

संख्या 52/त्रि0पंचा0उप0निर्वा0–2017–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या 120/रा0नि0आ0अनु0–2/2156/2017 देहरादून, दिनांक 23.05.2017 द्वारा राज्य की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायत के निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिसूचना के साथ ही (नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद के सम्बन्धित समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में जिनमें निर्वाचन कराये जा रहे हैं, के सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता दिनांक 23.05.2017 से तत्काल प्रभाव से प्रभावी होकर मतगणना समाप्ति तक प्रभावी की जाती है।

स्थान–हरिद्वार।

दिनांक–24.05.2017

दीपक रावत,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
हरिद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट/312–भाग 3–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 जून, 2017 ई0 (ज्येष्ठ 13, 1939 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर निगम, देहरादून

नगर निगम, देहरादून की सीमा के अन्तर्गत कुत्तों के लाइसेंस शुल्क से सम्बन्धित उपविधियाँ

17 अप्रैल, 2017 ई0

पत्रांक 157/ST/2017–सं0 690/एस0टी0/016, दिनांक 27.09.2016 के द्वारा उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 172 (2) (ङ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, आरोपित/संशोधित करने हेतु उपविधियाँ बनाकर, उन व्यक्तियों, जिन पर प्रस्तावित शुल्क के प्रभाव पड़ने की सम्भावना की जाती है, से दैनिक पेज थ्री समाचार–पत्र के हिन्दी के अंक, दिनांक 30 अगस्त, 2016 एवं दि पायनियर के अंग्रेजी के अंक, दिनांक 30 अगस्त, 2016 में प्रकाशन कराकर 15 दिनों के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये गये थे किन्तु निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

सम्यक् विचारोपरान्त नगर निगम, देहरादून द्वारा उक्त शुल्क के आरोपण एवं वसूली के लिए पारित प्रस्तावित उपविधियाँ अन्तिम रूप से स्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 544 के अन्तर्गत यह उपविधियाँ शासकीय गजट में प्रकाशित की जाती हैं:–

उपविधि

1. यह उपविधि नगर निगम, देहरादून श्वान लाइसेंस उपविधि 2017 कहलायेगी।
2. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
3. परिभाषाएँ :

   (क) "नगर निगम" से तात्पर्य नगर निगम, देहरादून व उसकी सीमा से है;

   (ख) "नगर आयुक्त" से तात्पर्य नगर निगम, देहरादून के नगर आयुक्त से है;

(ग) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) से है।

4. प्रत्येक 3 माह अथवा इससे अधिक की आयु का कुत्ता, नगर निगम, देहरादून की सीमा के अन्दर रखने/पालने पर इसका पंजीकरण नगर निगम, कार्यालय में कराना आवश्यक होगा, जो प्रत्येक वर्ष की अन्तिम तिथि 31 मार्च तक वैध रहेगा।

5. प्रत्येक ऐसे कुत्ते, जिसका पंजीकरण कराना हो, के (1) लिंग, (2) रंग, (3) नस्ल (यदि ज्ञात हो) की सूचना सहित वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी, नगर निगम, देहरादून को उसके स्वामी द्वारा आवेदन प्रेषित करना होगा। इसके लिए आवेदन–पत्र के साथ ₹ 200 का पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। आवेदन–पत्र के साथ कुत्ते को एंटि रेबीज वैक्सीन का टीका लगा होने का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

6. कुत्ते के स्वामी को प्रत्येक वर्ष अप्रैल अथवा इससे पूर्व ही पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन निर्धारित शुल्क सहित प्रेषित करना होगा। विलम्ब से प्रेषित नवीनीकरण प्रार्थना–पत्र पर प्रतिमाह ₹ 10 विलम्ब शुल्क देय होगा।

7. प्रत्येक कुत्ते के पंजीकरण के पश्चात् उसके पंजीयन संख्या का टोकन जारी किया जायेगा, जो कुत्ते के गले में सदैव उपलब्ध रहेगा।

8. किसी भी पंजीकरण के टोकन के खो जाने की दशा में उसके स्वामी की लिखित सूचना पर दूसरा टोकन ₹ 25 के दण्ड शुल्क लेकर जारी किया जा सकेगा, कुत्ते के गले में टोकन ना पाये जाने की स्थिति में कुत्ता पंजीकरण रहित माना जायेगा।

9. प्रत्येक ऐसा कुत्ता जो सार्वजनिक स्थल पर बिना गले के टोकन के पाया जायेगा, पकड़कर जब्त करने योग्य होगा।

दण्ड

इस नियमावली के नियम 4 से 8 की अवहेलना होने पर कुत्ता स्वामी दण्ड का भागी होगा, जो ₹ 500 तक हो सकेगा एवं अवज्ञा जारी रहने की दशा में प्रतिदिन ₹ 20 तक का अतिरिक्त दण्ड देय होगा।

रवनीत चीमा,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर

18 अप्रैल, 2017 ई0

पत्रांक 28/संयुक्त लाइसेन्स शुल्क उपविधि प्रकाशन/2017–18–नगरपालिका परिषद्, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर द्वारा शासनादेश संख्या 2399/नौ–9–14–204 (जनरल)/90, दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 के अनुपालन में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 सूची (1) च व छ के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगर सीमा अन्तर्गत व्यवसाय करने वाले विभिन्न व्यवसायों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक संयुक्त लाइसेन्स उपविधियाँ, बोर्ड की बैठक 09.08.2016 के प्रस्ताव संख्या 05 में पारित की गयी है, जिसे उक्त एक्ट की धारा 300 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की आशंका है, से आपत्तियाँ एवं सुझाव उचित माध्यम द्वारा आमंत्रित की जाती है। जिस किसी को भी इस संबंध में आपत्ति/सुझाव देने हों, लिखित में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर नगरपालिका परिषद्, सितारगंज के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उपविधि का अवलोकन नगरपालिका परिषद, सितारगंज के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है, समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी आपत्ति/सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकेगा।

उपविधियाँ

1. परिभाषा :–किसी बात के प्रसंग में प्रतिकूल न होने पर (क) ये नियम/उपनियम नगरपालिका परिषद्, सितारगंज की सीमान्तर्गत विभिन्न व्यवसायों के विनियमन हेतु उपविधियाँ कहलायेंगी।
   (क) ये नियम/उपविधि, नगरपालिका परिषद्, सितारगंज की सीमान्तर्गत विभिन्न व्यवसायों के विनियमन हेतु उपविधियाँ कहलायेंगी;
   (ख) प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, सितारगंज के प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है;
   (ग) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, सितारगंज के अधिशासी अधिकारी से है;
   (घ) नगरपालिका परिषद्, सितारगंज की सीमा से तात्पर्य नगरपालिका के शासन द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से है;
   (ङ) इस नियम/अवधि के अधीन नगरपालिका परिषद्, सितारगंज के अधिशासी अधिकारी, लाइसेंसिंग अधिकारी होंगे।
2. ये नियम/उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
3. कोई भी व्यक्ति, नगरपालिका परिषद्, सितारगंज की सीमान्तर्गत निम्न अनुसूची (क) में दिये गये व्यवसायों को नहीं कर सकेगा, जब तक वह नगरपालिका परिषद्, सितारगंज कार्यालय में अपने से सम्बन्धित व्यवसायों हेतु लाइसेन्स नहीं प्राप्त कर लेता है।
4. प्रत्येक व्यवसायी अथवा उद्यमी को इन उपविधियों के अधीन नगरपालिका परिषद्, सितारगंज के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रति वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक लाइसेन्स प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. प्रत्येक ऐसा निर्गत/प्राप्त लाइसेन्स एक वित्तीय वर्ष के लिए ही मान्य होगा।
6. लाइसेंस अधिकारी को लाइसेन्स निर्गत करने से पूर्व विवेकानुसार व्यवसाय की दुकान का निरीक्षण करने का अधिकार होगा अथवा लाइसेन्स अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट कर्मचारी द्वारा व्यवसाय दुकान/प्रतिष्ठान की जाँच करने पर ही लाइसेन्स निर्गत किया जायेगा।

7. लाइसेन्स अधिकारी को अधिकार होगा कि लाइसेन्स निर्गत करने से पूर्व खान–पान की सामग्री से सम्बन्धित व्यवसायिक दुकान अथवा फल–सब्जी, जो नित्य प्रति मानवीय प्रयोग के लिए विक्रय हेतु हो, की स्वच्छता तथा पदार्थ सुनियोजित रूप से साफ सामान व बर्तनों में रखने होंगे, जिसमें मक्खियाँ व धूल के कण एवं हानिकारक कीटाणुओं का प्रभाव न पड़ सके।

8. कोई भी व्यक्ति, जो छूत की बीमारी से पीड़ित हो न तो स्वयं ऐसा व्यवसाय करेगा और न ही ऐसे व्यवसाय में किसी ऐसे व्यक्ति को सेवायोजित करेगा।

9. लाइसेन्स अधिकारी को इन उपविधियों के अधीन खान–पान से सम्बन्धित व्यवसायिक दुकानों, होटलों, हलवाईयों, सब्जी विक्रेताओं की दुकानों के निरीक्षण के समय पायी जाने वाली गन्दगी के विरुद्ध अथवा सड़ी–गली सब्जियों, फलों को दुकानों में रखने व विक्रय करने के विरुद्ध कार्यवाही करने अथवा मानव अनुपयोगी पदार्थों को नष्ट करने का अधिकार होगा।

10. प्रत्येक व्यापारी व्यवसायिक को चाहिए कि वह नगरपालिका परिषद्, सितारगंज के कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक ₹ 10.00 की स्टॉम्प पेपर पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करें और आवश्यक शुल्क देकर लाइसेन्स प्राप्त कर लें।

11. उपर्युक्त नियमों के वर्णित किसी भी अंश का उल्लंघन किए जाने पर लाइसेंसिंग अधिकारी, लाइसेन्सधारक के आवेदन–पत्र को उस समय तक लम्बित रख सकता है या निरस्त कर सकता है, जब तक ऐसे लाइसेन्सधारक के आवेदनकर्ता से इन प्रति उपविधियों के अधीन सफाई व्यवस्था नित्य प्रति खान–पान से सम्बन्धित व्यवसाय व सार्वजनिक दुकान को पूर्ण रूपेण स्वच्छ रखने आदि की व्यवस्था न की हो, लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा जाँच करने पर सम्बन्धित दुकानदार द्वारा निर्दिष्ट हिदायतों का सार्वजनिक हित में स्वच्छता आदि की व्यवस्था सुनिश्चित रूप से न रखी हो।

12. इन उपविधियों के अन्तर्गत खान–पान से सम्बन्धित व्यवसायों, दुकानदारों, व्यक्तियों को दुकान से अलग–अलग व सामने प्रवेश कक्ष के सामने दुकान का कूड़ा व अन्य अनुपयुक्त गन्दी वस्तुएँ रखने व प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं होगा। जो किसी व्यक्ति की दृष्टि से अशोभनीय लगती है।

13. इन उपविधियों के अधीन लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा किसी भी दुकानदार, व्यक्ति को लाइसेन्स न दिये जाने पर एक माह के अन्दर प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी को सुनवाई हेतु अपील करने का अधिकार होगा। परन्तु अपीलकर्ता को उन उपर्युक्त नियमों के अधीन वर्णित व्यवस्था के अनुपालनार्थ उत्पीड़न होने की दशा में ही अपील की सुनवाई होनी सम्भव होगी।

14. लाइसेन्सधारक अपने लाइसेन्स का नवीनीकरण 31 मार्च तक नहीं कराता है तो उसे लाइसेन्स शुल्क पर विलम्ब शुल्क निर्धारित शुल्क का 10 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से लाइसेन्स हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक देय होगा।

15. कोई भी व्यक्ति लाइसेन्सधारक अपना व्यवसाय कम अथवा समाप्त करेगा तो वह अपना लाइसेन्स निरस्त कराने हेतु ₹ 10 के स्टॉम्प पेपर/टिकट लगाकर प्रार्थना–पत्र फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह के पूर्व प्रस्तुत करेगा, जिसमें लाइसेंसिंग अधिकारी, दुकान/प्रतिष्ठान का निरीक्षण कराकर लाइसेन्स निरस्त कर सकेगा।

16. इन उपनियमों के प्रभावी होने की तिथि से स्वीकृत उपविधि में लिखित व्यवसायों/उद्यमों से सम्बन्धित पूर्व लाइसेन्स उपविधियाँ समाप्त हो जायेंगी। परन्तु जिन व्यवसायों को इस उपविधियों में उल्लिखित नहीं किया गया है, से सम्बन्धित पूर्व लाइसेन्स उपविधियाँ यथावत् रहेंगी।

दण्ड

एक्ट की धारा 299 (1) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, पालिका आदेश देती है कि उपरोक्त उपविधियों के किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर मु0 ₹ 1,000.00 तक दण्ड दिया जा सकता है तथा यदि उल्लंघन जारी रहेगा तो अतिरिक्त दण्ड जो ₹ 50.00 प्रतिदिन तक हो सकता है, जो प्रथम दोष निर्णय की तिथि से जब तक अपराधी अपराध करता रहेगा, दिया जावेगा।

अनुसूची

क्रम सं0	मद का नाम	निर्धारित दर (₹ में)
1	2	3
1.	होटल, रेस्टोरेंट–होटल लीजिंग तथा रेस्ट हाउस, 10 शैय्या तक	2,000.00
2.	तीन सितारा होटल	2,000.00
3.	पाँच सितारा होटल	24,000.00
4.	होटल लीजिंग तथा रेस्ट हाउस 20 शैय्या तक	4,000.00
5.	नर्सिंग होम (20 बेड तक)	4,000.00
6.	नर्सिंग होम 50 बेड के ऊपर, ₹ 100.00 प्रति बेड	10,000.00
7.	प्रसूति गृह, 20 बेड तक	8,000.00
8.	प्रसूति गृह, 20 बेड के ऊपर	10,000.00
9.	प्राइवेट अस्पताल	10,000.00
10.	पैथोलॉजी सेन्टर	2,000.00
11.	डेन्टल क्लीनिक	8,000.00
12.	प्राइवेट क्लीनिक	6,000.00
13.	परिवहनः–ऑटो रिक्शा 2 सीटर	720.00
14.	ऑटो रिक्शा 7 सीटर, टैम्पो	1,400.00
15.	ऑटो रिक्शा 4 सीटर	1,000.00
16.	मिनी बस	1,000.00
17.	बस	5,000.00
18.	तांगा	100.00
19.	रिक्शा किराये पर	300.00
20.	रिक्शा निजी चालित	150.00

1	2	3
21.	ठेला/ठेली	200.00
22.	हाथ ठेला	50.00
23.	बैलगाड़ी/भैंसा गाड़ी	50.00
24.	ट्राली	300.00
25.	अन्य चार पहियों के वाहन, व्यापारिक प्रयोग हेतु सभी वाहन	2,000.00
26.	अन्यः–धुलाई गृह लाण्ड्री	1,000.00
27.	ड्राइक्लीनर	2,000.00, 5,000.00
28.	फाइनेन्स कम्पनी, चिट फण्ड	12,000.00
29.	इन्श्योरेन्स कम्पनी, प्रति शाखा	24,000.00
30.	फाउन्डिग इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रियल	2,400.00
31.	पशुवध–स्लॉटर हाउस	50.00 प्रति पशु
32.	हड्डी–खाल गोदाम	2,000.00
33.	बार/बीयर	12,000.00
34.	आइसफैक्ट्री	500.00
35.	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	15,000.00
36.	देशी शराब	12,000.00 प्रति दुकान
37.	भैंसा मांस की दुकान	600.00
38.	बकरा मांस की दुकान	1,200.00
39.	विदेशी शराब, प्रति दुकान	24,000.00 प्रति दुकान
40.	पशुपालन–प्रति पशु	20.00 प्रति पशु
41.	कॉजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना	500.00 प्रति पशु
42.	प्रति खुराकी, छोटे जानवर, बकरी आदि	50.00 प्रति पशु
43.	प्रतिदिन खुराकी, बड़े जानवर (गाय, भैंस, घोड़े आदि)	250.00 प्रति पशु

18 अप्रैल, 2017 ई0

पत्रांक 28/संयुक्त लाइसेन्स शुल्क उपविधि प्रकाशन/2017–18–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न उपविधि जनता की आपत्ति/सुझाव हेतु प्रकाशित की जाती है, जिस किसी को भी इस संबंध में आपत्ति/सुझाव देने हों, लिखित में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर नगरपालिका परिषद्, सितारगंज के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, उपविधि का अवलोकन नगरपालिका परिषद् कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में किया जा सकता है, समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति/सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298, सूची 1 झ के खण्ड (घ) एवं भारत का राजपत्र नई दिल्ली 25.09.2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन और हथालन को नियमित करते हुए, उपयोग शुल्क (यूजर चार्ज) की उपविधि बनायी जाती है।

अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम :

इन नियमों का संक्षिप्त नाम, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और हथालन नियम, 2000 के अन्तर्गत उपयोग शुल्क (यूजर चार्ज) नियम, 2016 होगा।

2. प्रारम्भ :

जैसा इन नियमों अन्यथा उपबंधित है, उसके अतिरिक्त में राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू/प्रवृत्त होंगे।

3. लागू होना :

ये नियम नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रह पृथक्कीकरण भण्डारण, परिवहन प्रसंस्करण तथा व्ययन के संचालन एवं रख–रखाव के लिये होगा। म्यूनिसिपल एक्ट, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन नियम, भारत का राजपत्र दिनांक 25.09.2000 के प्राविधानों पर निम्न उपविधियों व शुल्क आरोपण किये जाने हेतु आपत्ति/सुझाव हेतु प्रकाशित की जाती है। जिस किसी को भी इस संबंध में आपत्ति/सुझाव देने हों, लिखित में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर नगरपालिका परिषद्, सितारगंज के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उपविधि का अवलोकन नगरपालिका परिषद् सितारगंज के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है। समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी आपत्ति/सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकेगा।

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 झ(घ) एवं भारत का राजपत्र नई दिल्ली 25.09.2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन और हथालन को।

उपविधि नियमावली

1. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के सीमान्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन योजना के संचालन एवं रख–रखाव हेतु उपभोग शुल्क यूजर चार्ज उपविधि, 2016 कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के सीमान्तर्गत प्रभावी होगी।

परिभाषा

1. "नगरपालिका" से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर से है;
2. "अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्" का तात्पर्य अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर से है;

3. "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर से है;

4. "स्वच्छता समिति" से तात्पर्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार नगरपालिका परिषद्, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर द्वारा गठित मोहल्ला स्वच्छता समितियों से है।

उपभोग शुल्क (यूजर चार्ज) शुल्क सूची

1. प्रति परिवार/घर, ₹ 30.00 प्रति माह।
2. बाजार क्षेत्र/हाट बाजार, प्रति दुकान ₹ 50.00 प्रति माह।
3. मलीन बस्ती प्रति घर, ₹ 20.00 प्रति माह।
4. होटल प्रति रूम, ₹ 100.00 प्रति माह।
5. भोजनालय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्थान और संस्थाएँ, ₹ 75.00 प्रति माह।
6. निकटवर्ती मिल/फैक्ट्री, जो अपने अपशिष्टों को नगर सीमा से ले जाते हैं, ₹ 6,000.00 प्रति माह।
7. सीमान्तर्गत के मिल/फैक्ट्री, ₹ 600.00 प्रति माह।
8. अन्य व्यवसाय ₹ 150.00 प्रति माह।

शुल्क वसूली

1. नगरपालिका परिषद्, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर द्वारा नियुक्त प्राधिकृत व्यक्ति/संस्था/मोहल्ला स्वच्छता समिति के द्वारा निर्धारित रसीद दी जायेगी।
2. नियत समय के अन्दर शुल्क, यूजर चार्ज भुगतान न करने पर अवशेष राशि की वसूली भू–राजस्व की भाँति वसूली जायेगी।
3. शुल्क वसूली हेतु नगरपालिका परिषद्, सितारगंज क्रियान्वयन संस्था निर्धारित प्रारूप पर माँग वसूली रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें प्रतिमाह/प्रतिदिन अथवा नगर पंचायत संस्था/मोहल्ला स्वच्छता समिति द्वारा समय–समय पर जन सुविधानुसार शुल्क वसूली की जायेगी। वार्षिक शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में एक मुस्त जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी। उपभोग शुल्क एवं दण्ड वसूलने हेतु नगरपालिका परिषद्, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के अधिशासी अधिकारी अथवा नगरपालिका परिषद्, सितारगंज द्वारा अधिकृत क्रियान्वित करने वाली संस्था/मोहल्ला स्वच्छता समितियाँ अधिकृत होंगी।
4. प्रतिमाह/प्रतिदिन दैनिक आय की संलग्न प्रारूप का सत्यापन नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा किया जायेगा।
5. उपभोग शुल्क वसूली अनुसूची में समय–समय पर जन सुविधानुसार नियमों में परिवर्तन का अधिकार नगरपालिका परिषद्, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के बोर्ड में निहित है।

शास्ति/दण्ड

नगरपालिका परिषद्, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजनान्तर्गत उपभोग शुल्क, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) में प्रदत्त व्यवस्था के तहत कार्यवाही/जुर्माना/अर्थदण्ड, जो ₹ 1,000.00 तक होगा। यदि निर्धारित अवधि तक धनराशि जमा नहीं की जाती है तो इस धनराशि के अतिरिक्त ₹ 50.00 प्रतिदिन दण्ड देय होगा। यदि उपभोक्ता कूड़ा अलग–अलग डिब्बों में पृथक्कीकरण कर नहीं रखता है तो यूजर चार्जेज दो गुने देय होंगे।

शहरी विकास अनुभाग, उत्तरांचल शासन

18 अप्रैल, 2017 ई0

पत्रांक 28/संयुक्त लाइसेन्स शुल्क उपविधि प्रकाशन/2017–18–नगरपालिका परिषद्, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर की सीमान्तर्गत पोस्टरों/विज्ञापनों आदि के प्रदर्शन पर नियंत्रण करने हेतु निम्न उपनियम पालिका बोर्ड की बैठक दिनांक 09.08.2016 में पारित प्रस्ताव संख्या 5(3) के खण्ड (ख) के अनुसार यू0पी0 मयुनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 की धारा 298 (1) (ज) (च), सूची (1) के अधीन बनाये गये हैं, जिन पर इनका पूर्णतया प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, आपत्तियाँ एवं सुझाव उचित माध्यम द्वारा आमंत्रित की जाती है। जिस किसी को भी इस संबंध में आपत्ति/सुझाव देने हों, लिखित में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर नगरपालिका परिषद्, सितारगंज के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उपविधि का अवलोकन नगरपालिका परिषद्, सितारगंज के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है। समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी आपत्ति/सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकेगा।

उपनियम

परिभाषित :

इन उपनियमों में जब तक विषय अथवा प्रयोग में कोई प्रतिकूल प्रभाव न हों।

(अ) "एक्ट" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 से है;

(ब) "बोर्ड" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, सितारगंज से है;

(स) "नगरपालिका परिषद्, सितारगंज की सीमा" से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, सितारगंज की सीमा से है तथा भविष्य में संशोधित सीमाएँ भी सम्मिलित मानी जायेंगी;

(द) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, सितारगंज के अधिशासी अधिकारी से है;

(च) "विज्ञापन" का तात्पर्य किसी ऐसे पत्रक, सूचना पोस्टर चिपकाने वाले या साइन बोर्ड पर किसी अन्य ऐसी वस्तु से है, जो कि विज्ञापन के लिए प्रयुक्त की गयी हो, जिसमें स्टेन्सिल के छापे हुए या रंगीन तथा वे तस्वीरें और रेखाबिन्दु भी सम्मिलित हैं, जो प्रचार हेतु बनाये गये हैं;

(छ) "भवन" का तात्पर्य घर, झोपड़ी, छप्पर या छत्तरदार निर्मित या चाहे व किसी भी नियमित बनायी गयी हो तथा उसके प्रत्येक भाग जिसमें बाहरी दीवार घेरा या भवन के किसी भाग से है, जिसमें तम्बू या इस प्रकार का अस्थाई शरणगाह सम्मिलित नहीं है।

1. व्यक्ति में वे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं जो विज्ञापन कार्य के लिए नियुक्त किये गये हों तथा फर्म कम्पनी का मालिक, स्वामी, प्रतिनिधि, खातेदार या प्रबन्धक आदि जिसके लिए विज्ञापन प्रदर्शित किया गया हो।
2. अधिशासी अधिकारी, कर अधीक्षक के अधीनस्थ में अभिलेख रख–रखाव करायेगी।
3. कोई व्यक्ति नगरपालिका की सीमा के अन्दर, जिसमें स्थान या भवन अथवा वाहन पर कोई विज्ञापन, जिसका उल्लेख ऊपर उपनियम संख्या 1 में किया गया है, प्रदर्शित करने पर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बिना अधिशासी अधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए न तो लगायेगा और न लगाने का अधिकारी होगा।
4. नगरपालिका परिषद्, सितारगंज की सीमा के अन्दर किसी भी स्थान को प्राप्त करने के लिए आवेदन–पत्र निश्चित स्थान के दो स्पष्ट मानचित्रों को प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री, जो बनाये जाने वाली तस्वीर की दो प्रतियाँ, विज्ञापन या आकार तथा जितने समय के लिए माँगी गयी हों उसके उल्लेख के साथ

अधिशासी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जो उसके विषय भाषा तथा स्थान की उपयुक्तता आदि को देखते हुए, अशिष्टता, अश्लीलता, उत्तेजनात्मक तथा नैतिक दृष्टिकोण से विज्ञापन के तथ्यों, चारित्रिकता की जाँच करने के पश्चात् लिखित रूप से आज्ञा प्रदान करेगा। अस्वीकृत आवेदनों पर अस्वीकृति के कारणों को लिखित रूप से माना जायेगा।

5. इन उपनियमों के अन्तर्गत प्रत्येक आज्ञा के स्वीकार किए जाने पर निम्नलिखित दर से शुल्क अग्रिम जमा करना होगा। विज्ञापन मुख्य मार्ग से 10 मीटर की दूरी पर होगा।

लागू दरें

क्र0 सं0	आकार (मीटर में)	वार्षिक	मासिक	दैनिक
1.	10×8	₹ 600	₹ 180	₹ 7
2.	8×6	₹ 400	₹ 90	₹ 5
3.	6×4	₹ 300	₹ 60	₹ 3
4.	3×2	₹ 150	₹ 40	₹ 2

6. अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा स्वीकृत आज्ञा को आपात स्थिति में जनहित में रद्द कर दें, रोक दें, ऐसी स्थिति में शुल्क का यथोदर भाग वापिस किया जायेगा।

7. नगरपालिका परिषद्, सितारगंज के अन्दर अधिकृत विज्ञापन लगा होने पर अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि वह उसके मूल्य, मौखिक खर्चे पर हटा दें और इस प्रकार किया गया व्यय नगरपालिका अधिनियम के अध्याय 6 के अन्तर्गत उस व्यक्ति के फर्म से वसूल किया जायेगा। जिसके लिये या जिसका विज्ञापन करने के लिए लगवाया गया था। यदि विज्ञापन हटाये जाने की तिथि से 15 दिन के अन्दर न छुड़ाया गया हो तो अधिशासी अधिकारी सम्बन्धित लोगों को 7 दिन की सूचना देकर विज्ञापन को नीलाम कर सकेगा।

8. उपरोक्त नियम के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क निम्नलिखित पर देय नहीं होगाः–

(क) ऐसे विज्ञापन, जो सरकारी या पालिका द्वारा करवायें या लगवाये जायेंगे।

(ख) ऐसा साइन बोर्ड, जो सम्बन्धित दुकान/मकान में होने वाले व्यवसाय का सूचक हो।

(ग) सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक विज्ञापन।

दण्ड

यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 की धारा 299 की उपधारा 1 के द्वारा अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, सितारगंज यह निर्देश देती है कि इस नियमावली के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर दण्ड का भागी होगा, जो ₹ 1,000 (एक हजार) तक हो सकती है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहता है तो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाए कि अपराधी अपराध करता रहा है तो ₹ 50.00 प्रतिदिन अतिरिक्त दण्ड दिया जायेगा।

सूचना

18 अप्रैल, 2017 ई0

पत्रांक 28/संयुक्त लाइसेन्स शुल्क उपविधि प्रकाशन/2017–18–सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका परिषद्, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर की सीमान्तर्गत चलने वाले ई–रिक्शा वाहन पर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 सूची (1) च व छ के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्था के तहत प्रति ई–रिक्शा वाहन ₹ 800 वार्षिक लाइसेन्स शुल्क वसूली को नियन्त्रित करने हेतु पालिका बोर्ड की बैठक दिनांक 09.08.2016 में पारित प्रस्ताव संख्या 5(4) के क्रम में प्रस्ताव करती है। जो उक्त प्रस्ताव दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशन करने की तिथि से 30 दिन के अन्दर उन व्यक्तियों से उक्त शुल्क प्रस्तावित दर के विरुद्ध पालिका के कार्य दिवस में आपत्ति आमंत्रित की जाती है। जिन पर इनका पूर्णतया प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। समय अवधि पश्चात् किसी भी आपत्ति एवं सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा। उक्त नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

सरिता राणा,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, सितारगंज,
(ऊधमसिंह नगर)।

कान्ता प्रसाद सागर,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, सितारगंज,
(ऊधमसिंह नगर)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट/312–भाग 8–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।